



ज्ञान संसाधन (Knowledge Resource)

कुछ प्रमुख अवधारणाओं की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अग्रिम (विवेकपूर्ण मानदंड) से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार व्याख्या।

अतिदेय तिथि

एक राशि को अतिदेय के रूप में माना जाना चाहिए यदि उसका भुगतान ग्राहक के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार निर्धारित नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया जाता है। यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, भले ही वह आधी रात से पहले चला हो, अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। इसी प्रकार, खाता अतिदेय होगा, भले ही 31 मार्च, 2021 को शाम 6 बजे दिन की समाप्ति की प्रक्रिया के बाद पूर्ण बकाया केवल 11 बजे तक प्राप्त किया जा सके।

एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन

विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सभी ऋणदाताओं को ऋणग्रहीताओं के खातों में प्रारंभिक तनाव को पहचानने के लिए, तुरंत चूक पर, विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। एसएमए उप-श्रेणियां और वर्गीकरण का आधार अर्थात् मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से ऋणों पर अतिदेय हो (परिक्रामी सुविधाओं की प्रकृति में नहीं) नीचे दी गई है।

SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

एक ऋणग्रहीता का खाता जो 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय हो जाता है, उसे गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋणग्रहीता के खाते उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार देय तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में एसएमए या एनपीए के रूप में चिह्नित किये जायेंगे। इसी प्रकार, एसएमए/एनपीए उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की संपत्ति वर्गीकरण की स्थिति को दर्शाएगा। यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 के दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में चिह्नित किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 के दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2021 के दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

और, 1 अक्टूबर 2022 से एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब ग्राहक द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाए। उपरोक्त उदाहरण में, जब तक मूलधन और ब्याज की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान 30 जून, 2021 को या उसके बाद नहीं किया जाता है, तब तक खाते को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है।

Registered Office:

De Lage Landen Financial Services India Pvt. Ltd.

CIN: U65900MH2011FTC221903

B2-708, 7th Floor, 'B' Wing,

Boomerang Co-Operative Premises Society Limited,

Saki Naka, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio,

Andheri (East), Mumbai – 400072, India

Telephone +91 22 6982 3199

www.dllgroup.com

DLL (De Lage Landen) has offices in more than 30 countries throughout Europe, North America, South America, Australia and Asia. The company is part of the Rabobank Group.